

12.9.2023

पनावली पेशदुई / कमीट्टे टैपो. सं. 1 के वकील
उपाधिपत्र / अपील सं. 2 / अपील सं. 2 के वकील
अनुपाधिपत्र / काठ-काठ आवाज लागे पर कोई उपाधिपत्र
नहीं आया / अपील सं. 1 ^{इदंतक} पूर्व में आदेश दिनांक
22.7.2022 के अपील विद्वा के रूप पर ~~अपील~~ विद्वा
की गई है। अतः सिद्धान्त अपील सं. 2 के रूप एवं
इसके अधिकार के उपाधिपत्र नहीं आने के अपील अपील
अदम ^{अदम पैकी} हालत में खारिज की जाती है। पनावली जम्बल
के काम होकर सभित कारगार में जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़